कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा डेढ़ करोड़ का डोडा-चूरा जब्त, एक गिरफ्तार

पुलिस ने 12 क्विंटल 68 किलोग्राम अफीम डोडा-चूरा जब्त किया

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये शहर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन गरूड़ व्यूह के तहत शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर की अनंतपुरा पुलिस टीम ने हाईटेक तरीके से की जा रही अवैध मादक पदार्थ तस्करी का पर्दाफाश करते हुए नकली जनरेटर के भीतर छिपाकर ले जाया जा रहा करीब डेढ़ करोड़ रूपये अंतरराष्ट्रीय कीमत का 12 क्विंटल 68 किलोग्राम अफीम डोड-चूरा जब्त किया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

कोटा में अनंतपुरा पुलिस टीम ने डोडा-चूरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

- तलाशी के दौरान जनरेटरनुमा कंटेनर में छुपाया हुआ 64 कट्टों से भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा- चूरा बरामद किया गया

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा की कार्यवाही डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल के मार्गनिर्देशन में की गई। शहर एसपी ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक में इलेक्ट्रिक जनरेटरनुमा कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर दीनदयाल नगर के कोने से ट्रांसपोर्ट नगर रोड़ पर लाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी व पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में अनंतपुरा थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मिनी ट्रक को घेर लिया। पुलिस टीम ने मिनी ट्रक की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान जनरेटरनुमा कंटेनर में छुपाया हुआ 64 कट्टो से भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया। जिसका कुल वजन 12 क्विंटल 68 किलोग्राम निकला। पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब डेढ़ करोड़ रूपये है। शहर एसपी ने बताया कि मौके पर कार्यवाही करते हुए सुतला थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर निवासी जसराम चौधरी (30) साल को गिरफ्तार किया है।

नकदी लूट के दो आरोपी गिरफ्तार : कोटा में कुन्हाड़ी पुलिस टीम ने मजदूर से मारपीट कर नकदी लूट के दर्ज मामले में विजय वाल्मिकी एवं सुजल को गिरफ्तार किया, मामले में एक आरोपी विशाल की तलाश जारी है। थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 1 दिसम्बर को फरियादी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 30 नवम्बर को काम करके घर जा रहा था, रास्ते में शराब के ठेके पर मिलने वाला मिला उसके पास बैठ गया। रिपोर्ट में कहा कि उसी समय विजय मिला जिसने 500 रूपये मांगे नहीं देने पर उसने मारपीट की और जब वह वहां से जाने लगा तो दो अन्य ने रोककर मारपीट कर उसकी जेब से 4800 रूपये ले गये।

चिड़ावा इलाके में रात के अंधेरे में पूर्व सैनिक के मकान को जेसीबी से तोड़ा

आरोप है कि करीब 100 लोगों ने तीन जेसीबी और कई वाहनों से तोड़फोड़ की

चिड़ावा के निजामपुरा तन ओजटू गांव में अज्ञात लोगों ने पूर्व सैनिक के मकान को ध्वस्त कर दिया।

चिड़ावा, (निसं)। थाना क्षेत्र के निजामपुरा तन ओजटू गांव में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात दहशत का माहौल बन गया। अज्ञात लोगों ने भारी मशीनरी के साथ एक पूर्व सैनिक के मकान पर धावा बोलते हुए न केवल मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, बल्कि नकदी व जेवरात चोरी कर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने इस संबंध में चिड़ावा थाने में रिपोर्ट देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

- अज्ञात लोगों ने दम्पती के नकदी व जेवरात चोरी कर जान से मारने की धमकी भी दी
- ग्रामीणों ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, मामला दर्ज

परिवादी मूलचंद सैनी ने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ ग्राम निजामपुरा तन ओजटू में मदरलैंड स्कूल के सामने स्थित अपनी भूमि पर बने मकान में रह रहे हैं। रात करीब दो बजे अचानक तीन जेसीबी, चार ट्रेक्टर और 15-20 वाहनों में सवार करीब सौ लोग उनके मकान पर पहुंचे। शोर सुनकर जब मूलचंद बाहर निकले तो आरोपियों ने उन्हें मकान खाली करने या जान से हाथ धोने की धमकी दी। इसी दौरान उनकी पत्नी भी बाहर आई, जिस पर आरोपियों ने पिस्टल, देशी कट्टे, कुल्हाड़ी, बरछी और लोहे की रॉड लहराते हुए दोनों को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि बदमाशों ने दंपती को जबरन बाहर निकालकर जेसीबी चालकों को मकान गिराने के निर्देश दिए। तीनों जेसीबी से मकान की बाड़ तोड़कर अंदर घुसकर चार कमरे, लेट-बाथरूम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने घर में रखी पानी की मोटर, टीन, पेटी में रखे करीब डेढ़ लाख रुपए नकद, महिला के जेवरात सहित अन्य सामान चोरी कर लिया और शेष घरेलू सामान को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए, हालांकि एक ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर भागे। ग्रामीणों ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पीड़ित का आरोप है कि इस घटना के पीछे जमीन पर अवैध कब्जे की नियत है। उन्होंने ग्राम पिलानी निवासी मोहनलाल स्वामी, सुनिल कुमार पुत्र महावीर नाई निवासी सेजा की ढाणी अजाड़ी कलां तथा राजकुमार महला निवासी झुंझुनूं पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान व भूमिका की जांच की जा रही है।

झुंझुनूं में एटीएम लूटने वाली गैंग पकड़ी, तीन गिरफ्तार

नवलगढ़, (निसं)। झुंझुनूं पुलिस ने देश के चार राज्यों में एटीएम लूट की वारदात करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनूं में इस गैंग ने दो एटीएम लूटने के असफल प्रयास किए थे, लेकिन पुलिस ने 500 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा कर तीन आरोपियों को धर दबोचा है, जिनसे कई चौंकाने वाले खुलासे होने

- चार राज्यों में एटीएम लूट का खुलासा, पुलिस ने 500 किमी तक पीछा कर बदमाशों को पकड़ा

झुंझुनूं पुलिस ने एटीएम लूट की वारदात करने वाली गैंग पकड़ी।

के साथ-साथ ना केवल राजस्थान, बल्कि आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों में हुई आधा दर्जन से अधिक एटीएम लूट की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। हरियाणा के मेवात इलाके पलवल और नूंह जिलों के रहने वाले ये तीन बदमाश शातिर एटीएम लुटेरे हैं, जिन्हें एक एटीएम लूटने में सिर्फ पांच मिनट लगते हैं। शातिर इतने ही है कि गैंग का हर एक सदस्य एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है। तभी जिस पांच मिनट में एटीएम से कैसे नगदी को पार करना है, इन्हें अच्छी तरह आता हैं, लेकिन अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने नवलगढ़ में ठीक एक महीने 15 नवंबर की अल सुबह एटीएम लूट के दो असफल प्रयास करने के मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि नवलगढ़ में इन बदमाशों ने पोद्दार कॉलेज तथा रोडवेज डिपो के सामने स्थित एसबीआई की दो एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन जगह गार्ड की सतर्कता और दूसरी जगह पुलिस की चुस्ती के कारण दोनों ही एटीएम में रखे 54 लाख रूपए बच गए।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए झुंझुनूं पुलिस की नवलगढ़ टीम के अलावा डीएसटी, सायबर सैल ने काफी मेहनत की। एक टीम तो आरोपियों के गांव तक करीब 500 किलोमीटर दूरी तक 700 से अधिक कैमरों को ही खंगालती रही। वहीं एटीएम लूट के मामलों में पूर्व में पकड़े गए 50 से अधिक बदमाशों की हिस्ट्री को खंगाला। साथ ही साथ सीकर समेत अन्य क्षेत्रों में हुई एटीएम चोरी के उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों को भी बारीकी से देखा। जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों हरियाणा के मेवात इलाके से दबोचा। इनमें हरियाणा के नूहं जिले के तावडू सदर थाना इलाके के शिकारपुर निवासी शाकिर पुत्र बिरजू मेव, पलवल जिले के बहीन थाना इलाके के आलीमेव गांव के रहने वाले दो बदमाश तसलीम पुत्र जुहूर मोहम्मद नाई मेव तथा इसी गांव के रोबिन पुत्र ईसब उर्फ चौड़ा मेव को गिरफ्तार किया। गैंग का मुख्य आरोपी और अन्य सहयोगी की अभी तलाश है। इस गैंग का मुख्य आरोपी गैस कटर से एटीएम काटने का मास्टर है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे जिस भी एटीएम को निशाना बनाते हैं, वहां पर हफ्तेभर पहले रैकी कर एटीएम, कैमरे और भागने के रास्ते देख लेते हैं। नवलगढ़ के दोनों एटीएम की रैकी भी उन्होंने हफ्तेभर पहले की थी।

चार राज्यों की वारदातें आई सामने :-हर वारदात में गैंग के चार से पांच सदस्य होते हैं। नवलगढ़ की वारदात में भी पांच सदस्य थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में ना केवल नवलगढ़ की दो असफल वारदात, बल्कि चार महीने पहले सीकर जिले में एक, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में तीन-तीन तथा पंजाब के फिरोजपुर में एक वारदात करना कबूल लिया है। वहीं झुंझुनूं पुलिस ने भी देश के सभी राज्यों की पुलिस को इन आरोपियों की जानकारी भेजी है।

डीग में घने कोहरे से दो कारें टकराई, तीन जने घायल

भरतपुर, (निसं)। डीग जिले में रविवार सुबह घने कोहरे के चलते डीग-कामा रोड पर दिदावली गांव के पास दो कारों में आमने-सामने की टक्कर में एक कार में सवार दो महिलाओं और एक युवक सहित तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार भरतपुर निवासी महेश खंडेलवाल (65), परिता खंडेलवाल (47) और विमला देवी स्विफ्ट कार में सवार होकर भरतपुर से जुरहरा में एक गमी में जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां मौके पर ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और चलने की स्थिति में नहीं थी, जबकि अर्टिगा कार में सवार लोग घटना के बाद मौके से फरार हो गए। हादसे की शिकार गाड़ी के ड्राइवर अमित को भी मामूली चोटें आई हैं जिनका इलाज डीग अस्पताल में जारी है, जहां से उन्हें भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया अब उनका इलाज राजेन्द्र नगर में संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। डीग कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नेशनल डिजिटल पॉलिसी की जरूरत बताई

जैसलमेर, (निसं)। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा ने नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी की जैसलमेर में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने काम को आसान और तेज किया है, लेकिन जो लोग इससे अपरिचित है, उन वादियों को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाए। न्यायमूर्ति ने कहा कि न्याय प्रणाली में डिजिटल डिवाइड केवल तकनीक तक पहुंच और गैर पहुंच का सवाल नहीं है, बल्कि यह सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले तकनीकी उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक गंभीर रूप में सामने आता है। उन्होंने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का जिक्र किया, जिसमें पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कोर्ट, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन और हाइब्रिड (ऑनलाइन और सामने से) सुनवाई और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के ज़रिए डेटाआधारित शासन की सोच रखी गई है।

- नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी की जैसलमेर में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित

उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिना रुकावट और सबको साथ लेकर न्याय दिलाने के लिए अच्छे कर्मचारियों वाले ई-सेवा केंद्र, सुहास जैसे आसान टूल, मोबाइल से पहुंच और एक राष्ट्रीय डिजिटल नीति की सख्त जरूरत है।

इस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एआई पर आंख बंद करके भरोसा न करने की चेतावनी दी। वहीं जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने डेटा सुरक्षा और एआई पर कहा कि टेक्नोलॉजी को जजों की मदद करनी चाहिए, न कि इंसान के फैसले या संवेदनशीलता की जगह लेनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई ने भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान में सबको डिजिटल तरीके से शामिल करने की बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। गांव और कमजोर लोगों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मदद करनी चाहिए। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम में इंसानों की निगरानी जरूरी है। इसके अलावा जजों और स्टाफ की ट्रेनिंग बढ़ाना और टेक्नोलॉजी आखिरी आदमी तक पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे सेशन में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से न्याय में आने वाली मुश्किलों पर बात हुई। जस्टिस ए.एस. चांदुरकर ने सनसनीखेज खबरों, गलत जानकारी और बढ़ते "मीडिया ट्रायल" के खतरों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि संविधान में मिली बोलने की आज़ादी और उस पर लगाए गए सही प्रतिबंधों में संतुलन बनाना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एआई पर आंख बंद करके भरोसा न करने की चेतावनी दी। वहीं, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने गोपनीयता, सही जानकारी पर आधारित लोगों की चर्चा और रचनात्मक आलोचना पर जजों के खुलेपन के महत्व पर ज़ोर दिया।

तीसरा सेशन आपसी सुलह से विवाद निपटाना और ऑनलाइन सुलह में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर केंद्रित था। डॉ. जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने कहा कि ऑनलाइन सुलह में पेंडिंग मामलों को निपटाने और काम को तेज़ करने की बड़ी क्षमता है। हालांकि उन्होंने एआई की मदद से होने वाले कामों में भी इंसानी निगरानी की ज़रूरत बताई। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय मिलना केवल कोर्ट तक पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय को महसूस करने का अनुभव है। उन्होंने कहा कि आपसी सुलह से विवाद सुलझाने को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि यह विवाद सुलझाने का एक अच्छा और मानवीय तरीका है।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने डेटा सुरक्षा और एआई से जुड़े क़ानूनी ढांचे पर बात की। उन्होंने साफ़ कहा कि टेक्नोलॉजी को जजों की मदद करनी चाहिए, न कि इंसान के फैसले या संवेदनशीलता की जगह लेनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान हाईकोर्ट ने कई नई डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए। इन सेवाओं का मकसद नागरिकों को बेहतर सेवा देना, काम में पारदर्शिता लाना और न्याय तेज़ी से दिलाना है। इनका उद्देश्य कोर्ट तक सभी की पहुंच आसान बनाना, नियमों की रुकावटें हटाने और लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना प्रमुख रहा।

चाकूबाजी की वारदात का खुलासा

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने इलाके में हुई चाकूबाजी वारदात का खुलासा करते हुए चाकूबाजी की वारदात में फरार पांच-पांच हजार के इनामी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में सामने आया कि परिवादी जुबेर अहमद व आरोपी दानिश के बीच कपड़े खरीदने की बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर आरोपी दानिश ने अपने साथी भुवनेश राज के साथ मिलकर जुबेर अहमद पर चाकू से जानलेवा हमला कर वारदात को अंजाम दिया था।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 12 दिसम्बर को फरियादी जुबेर अहमद ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि दानिश, भुवनेश, राज आर्य उसकी दुकान पर कपड़े लेने आये और अचानक किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। शहर एसपी ने कहा कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया, शहर एसपी ने कहा कि फरार आरोपियों पर 5-5 हजार के इनाम घोषित किया गया। मुखबीर से सूचना मिली कि चाकूबाजी के हमलावर 80 फीट रोड़ स्टील ब्रिज के नीचे छिपे हुए है, सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चाकूबाजी के हमलावरो को डिटेन किया। पुलिस टीम ने फरार चल रहे राज आर्य, भुवनेश कुमार एवं दानिश को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियो से अनुसंधान जारी है।

मानसिक-दिव्यांग कालूराम को पांच साल से उपचार की दरकार

परिजनों ने कालूराम मेघवाल को पांच साल से पेड़ से बांधकर रखा हुआ है

नोखा, (कासं)। कालूराम मेघवाल पिछले पांच साल से पेड़ से ऐसे ही बंधा हुआ है। कालूराम मेघवाल मानसिक रूप से बीमार है। स्थिति ये है कि वह अब केवल अपनी बूढ़ी मां को पहचानता है। वह लोगों पर हमला ना कर दे, इस मजबूरी में परिजनों ने उसे पेड़ से बांधकर रखा है। हमेशा रस्सी से बंधा होने के कारण उसके पैर में घाव भी हो गए हैं। धूपालिया गांव की उत्तराधि मेघवालों की ढाणी निवासी कालूराम के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर में पैसा नहीं होने कारण परिवार कालूराम का उपचार कराने में भी असमर्थ है। कालूराम पिछले पांच साल से ऐसे ही रस्सी से बंधा हुआ है। अगर उसको खुला छोड़ा जाता है तो वह आक्रामक हो जाता है।

- हमेशा रस्सी से बंधा होने के कारण कालूराम के पैर में घाव भी हो गए हैं, अगर कालूराम को खुला छोड़ा जाता है तो वह आक्रामक हो जाता है
- धूपालिया गांव की उत्तराधि मेघवालों की ढाणी निवासी कालूराम के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है

कालूराम की बुजुर्ग मां गौरा देवी और पत्नी बुधी देवी ने बताया कि 5 साल पहले कालूराम बिल्कुल ठीक था। लेकिन अचानक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कभी-कभी वह लोगों पर पत्थर फेंकने लगा, स्थिति रोजाना बिगड़ने लगी। जब कालूराम खुला रहता है तो वह आक्रामक हो जाता था। इसी डर से उसे खेजड़ी के पेड़ के पास बांध दिया। पास ही एक चारपाई पर पीने का पानी रखा जाता है। थक जाने पर वह कभी जमीन पर तो कभी चारपाई के पास सो जाता है। शुरुआती एक साल में कालूराम का इलाज करवाया था, लेकिन आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण अब उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है।

पड़ोसी अशोक बिश्नोई ने बताया कि कालूराम अपने शरीर पर कपड़े भी नहीं रखता और केवल बूढ़ी मां को ही पहचानता है। आसपास कोई अन्य व्यक्ति आता है तो वह आक्रामक हो जाता है। परिवार को अब तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता या समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई है। कालूराम के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों पिता की यह हालत देखकर डर और दुख के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बुजुर्ग मां अपने बेटे की दुर्दशा देखकर रोती रहती है। वहीं पत्नी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। कालूराम का बड़ा भाई रेवतराम ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता था। एक हादसे में पैर टूटने के बाद वह भी अपाहिज हो गया। उसके आठ बच्चे हैं। परिवार में कोई भी नियमित कमाने वाला नहीं है, जिससे हालात और भी बदतर हो गए हैं। कालूराम भी 5 साल पहले मजदूरी करता था। अब परिवार की महिलाएं खेती और मनरेगा में मजदूरी कर परिवार चलाती है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मानसिक संतुलन खो चुके कालूराम मेघवाल का उपचार सरकारी स्तर पर कराया जाए।

नोखा जिला अस्पताल के डॉ. एम.एल. पिलानिया ने बताया कि तनाव या नशे के कारण व्यक्ति सायकोसिस से पीड़ित हो जाता है। अगर उसका समय से इलाज नहीं हो तो मरीज मनोरोगी हो जाता है। इस बीमारी का इलाज है, बहुत से ऐसे मरीजों का इलाज कर इन जंजीरों से मुक्त कराया गया है।

झुंझुनूं : हिस्ट्रीशीटर सुनील सुण्डा हत्याकांड में दो हिस्ट्रीशीटर सहित तीन गुर्गे गिरफ्तार

झुंझुनूं/जयपुर। झुंझुनूं और सीकर के बीच सीमा पर हुई दो कुख्यात गैंगों (रविन्द्र कटेवा 0056 और श्रवण भादवासी 1657) की भिड़ंत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस गैंगवार में रविन्द्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील सुण्डा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को जब्त किया है।

पुलिस ने गैंगवार के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- झुंझुनूं और सीकर के बीच सीमा पर हुई दो कुख्यात गैंगों (रविन्द्र कटेवा 0056 और श्रवण भादवासी 1657) में भिड़ंत हो गई थी
- भिड़ंत में हमलावर गैंग का मुखिया गोलू स्वामी भी मारा गया था, जिसे 50 लाख की सुपारी मिली थी

आईजी जयपुर रेंज एचजीआर सुहास ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि यह गैंगवार मुख्य रूप से भादवासी, सीकर में स्थित जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश का नतीजा था। श्रवण भादवासी गैंग ने कटेवा गैंग द्वारा नवंबर 2024 में सुरेश मुवाल पर किए गए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। सुपारी लेकर थाना रानोली के हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी और उसके साथी स्विफ्ट डिजायर कार में आए थे, जिन्होंने रविंद्र कटेवा के घर के सामने फायरिंग की, जिसमें सुनील सुण्डा मारा गया। फायरिंग के बाद रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने हमलावरों का पीछा किया। खेत में हुई जवाबी भिड़ंत में हमलावर गैंग का सदस्य और 50 लाख की सुपारी लेने वाला मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर कृष्णकान्त उर्फ गोलू स्वामी भी मारा गया।

तीन मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार :-पुलिस ने घटना में शामिल श्रवण भादवासी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों पिंटू भीचरी उर्फ शूटर (25) निवासी बलारा और हिस्ट्रीशीटर राजू सिंह उर्फ राजू अठवास (25) निवासी फतेहपुर सदर को घटनास्थल से और फरार तीसरे मुल्जिम नंदु सिंह उर्फ फौजी (28) निवासी दादिया को भी सीकर पुलिस के सहयोग से दस्तयाब किया गया।

गोठड़ा क्षेत्र में हुई भीषण गैंगवार के दूसरे पहलू पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रविन्द्र कटेवा (0056) गैंग के मुखिया सहित चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई श्रवण भादवासी गैंग (1657) के सदस्य और हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी की हत्या के संबंध में की गई है। आईजी सुहास के निर्देश पर एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के सुपरविजन में गठित टीमों ने कार्रवाई की। पुलिस ने रविन्द्र कटेवा गैंग के चार मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिसमें खुद सरगना हिस्ट्रीशीटर रविन्द्र कटेवा (26) और उसके साथी विकास बटार (26) व संदीप गिल (31) निवासी गोठड़ा जिला झुंझुनू और पंकज रूलानिया (29) निवासी दादिया जिला सीकर शामिल है। पुलिस ने संगठित अपराध पर आर्थिक प्रहार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से और घटना में प्रयुक्त 8 महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें तीन थार, तीन कैम्पर, एक फॉच्यूनर और एक ब्रेजा शामिल हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए प्रावधानों के तहत गैंग के सदस्यों की अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों और वाहनों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही दोनों प्रकरणों में प्रकरण में फरार चल रहे नामजद आरोपियों अनिल, शुभकरण बाजिया, हिस्ट्रीशीटर अरविन्द, राहुल सैनी, हिस्ट्रीशीटर मनोज महला, श्रवण भादवासी, राजपाल भादवासी, सुरेश मुहाल आदि की गिरफ्तारी के लिए 50-50 हजार रुपये के इनाम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी सुहास ने बताया कि दोनों गैंगों के खिलाफ हत्या, फायरिंग और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। संगठित अपराधों से जुड़े हुए गैंगस्टर एवं गैंग के अन्य सदस्यों के खिलाफ आगे भी कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।